न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 217/2018 दायर दिनाँक 16.05.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. पुरखाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूघनाथ पुत्र हीरालाल (फौत) 2. रामेश्वर पुत्र हीरालाल (फौत) समस्त जाति महाजन निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. रामचन्द्र पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री कमल मोट वकिल वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम नोजला की ढाणी खसरा सं0 738 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा हीरालाल वल्द मगनीराम महाजन निवासी कोलिया के नाम से रहा है। जिसके नये खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा दर्ज किये गये है, उक्त खसरा मिलान की नकल पेश है।

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम नोजला की ढाणी पर सम्वत् 2019 व 2020 में प्रतिवादी सं0 3 के पिता व वादी के बाबा उमाराम का कब्जा काश्त रहा है, इस बाबात में नकल गिरदावरी की पेश है। तथा स्व0 उमाराम के स्वर्गवास के बाद में उक्त खेत पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 3 का रहा है।

यह है कि उक्त खेत के बाबत सिकमी काश्तकारी भी सम्वत् 2042 में स्व0 उमाराम के नाम से दर्ज की गई है, जिसकी प्रति पेश है।

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम नोजला की ढाणी पर कब्जा काश्त सदैव से ही वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 का रहा है एवं इससे पर्वू स्व0 उमाराम का रहा है। स्व0 उमाराम ने उक्त खेत सन 1956–57 में जरिये कच्ची लिखापढी के खरीद किया था, किन्तु उक्त लिखा–पढ़ी उपलब्ध नही है। किन्तु सम्वत् 2042 में सिकमी काश्तकारी स्व0 उमाराम के नाम से दर्ज हो चुकी है, जिससे उक्त खेत निरन्तर वादी व प्रतिवादी सं0 3 के कब्जे काश्त में रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार हैः–

यह है कि खेत खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद नोजला की ढाणी का खातेदारी वादी व प्रतिवाद[illegible]

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 561 रकबा 20 [illegible] बिस्वा वाकै सरहद नोजला की ढाणी का जरिये मिट्स [illegible] 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 03 को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे सामिल मिसल किया गया। शाक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके ग्राम नोजला की ढाणी खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 03 की 1/2 – 1/2 खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 फौत होने व रेकर्ड पर वारिसान नही होने से इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **25.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 2/9/22

नोट :- वादी पुरखाराम फौत होने से वादी के वारिसान ① श्रीमती देवी W/o पुरखाराम ② प्रेमाराम S/o पुरखाराम ③ राजुदेवी D/o पुरखाराम को वादीगण कायम माना है। वादी पुरखाराम 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी पुरखाराम के वारिसान के नाम घोषणा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 217/2018 दायर दिनाँक 16.05.2013

प्रार्थीगण		**अप्रार्थी**
1. पुरखाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रूघनाथ पुत्र हीरालाल 2. रामेश्वर पुत्र हीरालाल समस्त जाति महाजन निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. रामचन्द्र पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 25.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमल मोट वकिल वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके ग्राम नोजला की ढाणी खसरा सं0 561 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 03 की 1/2 — 1/2 खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 फौत होने व रेकर्ड पर वारिसान नही होने से इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—........................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 4/9/22
नोट:- वादी पुरखाराम फौत [illegible] (1) श्यामदेवी D/o पुरखाराम, (2) भैयाराम S/o पुरखाराम (3) राजूदेवी D/o पुरखाराम वारिसान बनाया जाता है। वादी पुरखाराम के हिस्से के स्थान पर वादी पुरखाराम के वारिसान के नाम पोषण की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner